

पुत्र/पुत्री, पुत्र/पुत्री द्वारा जल्द दस्तावेजों शपथ पत्र, डायरकार्ड, इशिका-लपेटों
 मददगार पक्ष-पक्ष के द्वारा पं-नापत द्वारा हाजिरा के आधार पर शपथ पुत्र भस्वन के
 (प्राथमिक) राजेश कुमार गुजर पुत्र भस्वन के लिए किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी, गुदागौड़जी 23/11/21
 दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिशंका की जाती है/नहीं की जाती है।

उक्त किया जाय उचित है।
 23/11/21
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

1522 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)
 23/11/21 -- आदेश :- दिनांक :- 23/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पौरव	2075-78	283	राजू पुत्र भस्वन	राजेश कुमार गुजर पुत्र भस्वन लाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 23/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/1193-1194

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्तो पालनाथ।
 2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी